**मृतक पिता के पृथक किये गये लड़के से ऋण की वसूली करने का वाद**

**(Suit for Recovery of Loan Amount for the Separated Son of the Deceased Father)**

न्यायालय ............

वाद नंबर ............ सन् 20..

अ०ब०स० ............ वादी

बनाम

स०न्द०फ० ............ प्रतिवादी

उपरोक्त नामित वादी सविनय निवेदन निम्न प्रकार करता है :\_\_

1. यह कि प्रतिवादी के पिता स्व श्री ......... ने मरने से पूर्व वादी से दिनाँक ......... को अंकन ......... रु० ......... रु० .........% वार्षिक ब्याज पर बीमारी/मकान/विवाह हेतु ऋण लिया था और रुक्का व रसीद उसी दिन निष्पादित किये गये थे—माँग पर उक्त धन प्रोद्भूत ब्याज सहित भुगतान करना था।
2. यह कि प्रतिवादी के पिता स्व श्री ......... की दिनाँक ......... को मृत्यु हो जाने पर उसके पिता द्वारा निष्पादित व वसीयत दिनाँक ......... के अनुसार मकान रु० ......... स्थित ......... प्रतिवादी के हिस्से में आया जिसका मूल्य ऋण की धनराशि व उस पर प्रोद्भूत ब्याज से बहुत अधिक है।
3. यह कि वादी साहूकारी का व्यापार नहीं करता है वादी का यह मात्र एकल संव्यवहार है।
4. यह कि वादी ने प्रतिवादी से पंजीकृत नोटिक दिनाँक ......... के द्वारा ऋण की धनराशि व प्रोदभूत ब्याज की माँग की परन्तु प्रतिवादी ने अपने भेजे उत्तर नोटिस में कोई भी धनराशि भुगतान करने से इन्कार कर दिया-वादी को उत्तर दिनाँक ......... को प्राप्त हुआ।
5. यह कि वाद का कारण ऋण देने की दिनाँक ........., प्रतिवादी के ऋणी की वसीयत से मकान का मालिक होने की दिनाँक, ........., वादी द्वारा माँग करने की दिनाँक ......... व प्रतिवादी को इन्कार करने की दिनाँक ......... को माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ और माननीय न्यायालय को वाद के श्रवण का क्षेत्राधिकार है।
6. यह कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं न्याय शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से ऋण मय प्रोदभूत ब्याज अंकन ......... रु० पर किया जाता है और तदानुसार न्याय शुल्क भुगतान किया जाता है ।
7. यह कि वादी प्रतिवादी के विरुद्ध निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता हैं :

(क) वादी को ऋण धनराशि मय प्रोदभूत ब्याज अंकन ......... रु० तथा उस पर वाद योजन तिथि से भुगतान की तिथि तक % वार्षिक ब्याज ऋणी मृतक की सम्पत्ति से, जो प्रतिवादी को वसीयत में प्राप्त हुई है, दिलाने की कृपा की जावे !

(ख) वादी को वाद का व्यय प्रतिवादी से दिलाया जावे।

(ग) माननीय न्यायालय की राय में जो अन्य उचित अनुतोष हो, दिलाया जावे।

**दिनाँक ......... वादी …….**

**द्वारा अधिवक्ता ….**

सत्यापन

मैं उक्त नामित वादी प्रमाणित करता हूँ कि वादपत्र के प्रस्तर 1 व 4 तक मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में सत्य है तथा प्रस्तर 5 व 6 विधिक राय पर आधारित है जिन्हें सत्य होने का मैं विश्वास करता

दिनाँक …

स्थान ....... वादी ........

द्वारा अधिवक्ता ....